छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा)

शास्त्री चौक, रायपुर (छ0ग0) – 492001

दूरभाष नंबर :– 0771–4918927

Email:- office.rera.cg@gov.in Website:-https://rera.cgstate.gov.in/

क्रमांक–75 / रेरा / 2022 / 1025 रायपुर, दिनाँक 27 / 07 / 2022

/ / परिपत्र / /

विषय :– **अप्रैल, 2022 से जून, 2022 तक की अवधि हेतु बिना विलंब शुल्क के त्रैमासिक अद्यतन करने की अवधि में वृद्धि करने के संबंध में।**

संदर्भ :– **प्राधिकरण का परिपत्र क्रमांक–17 / रेरा / 2018 / 562, रायपुर दिनाँक 28 / 09 / 2018।**

––00––

भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–3 सहपठित धारा–4, 5 व धारा–11 अंतर्गत छत्तीसगढ़ रेरा में पंजीकृत समस्त प्रोजेक्ट्स को प्रोजेक्ट की त्रैमासिक प्रगति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। प्राधिकरण द्वारा संदर्भित परिपत्र के माध्यम से इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। तत्संबंध में अप्रैल, 2022 से जून, 2022 तक की अवधि हेतु बिना किसी विलंब शुल्क के त्रैमासिक अद्यतन अपलोड करने की निर्धारित अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2022 है। क्रेडाई छत्तीसगढ़ द्वारा पत्र दिनाँक 22.07.2022 के माध्यम से उक्त तिथि में वृद्धि हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। चूँकि वर्तमान में आयकर विवरणी दाखिल करने तथा वार्षिक ऑडिट तैयार करने के कार्यों में चार्टर्ड एकाउंटेन्ट्स का व्यस्त होना स्वाभाविक है; अतः क्रेडाई, छ.ग. की उक्त मांग को ध्यान में रखते हुये अप्रैल, 2022 से जून, 2022 तक की त्रैमासिक अवधि हेतु बिना विलंब शुल्क के त्रैमासिक अद्यतन करने की तिथि में वृद्धि किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा–37 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अप्रैल से जून, 2022 तक की तिमाही हेतु बिना विलंब शुल्क के त्रैमासिक अद्यतन प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि करने के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. अप्रैल, 2022 से जून, 2022 तक की त्रैमासिक अवधि हेतु तिथि 31 जुलाई, 2022 में एक माह का विस्तार करते हुये बिना विलंब शुल्क के त्रैमासिक अद्यतन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त, 2022 निर्धारित की जाती है। उक्त दिनाँक पश्चात् त्रैमासिक अद्यतन किये जाने की स्थिति में विलंब शुल्क यथावत देय होगा।

(माननीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. अनुप्रिया मिश्रा)
रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण
रायपुर.